वगताराम बनाम तहसीलदार
2022 / 41
निर्णय दिनांकः—10.06.2025

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—30 / 2022 | दर्ज तिथिः—07.03.2022

1. वगताराम पुत्र सांवताराम
   जाति मेघवाल निवासी मीठड़ा खूर्द,,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमना
2. अचलाराम पुत्र हरजीराम
3. उदाराम पुत्र धनाराम
4. केसाराम पुत्र हरजीराम
5. चिमाराम पुत्र हरजीराम
6. पपूराम पुत्र धनाराम
7. भगाराम पुत्र मलाराम
8. मगाराम पुत्र मलाराम
9. मोबताराम पुत्र धनाराम
10. राहुराम पुत्र हरजीराम
11. लासी पत्नी धनाराम
    जाति मेघवाल निवासी लाखोलाई नाडी,मीठड़ा खूर्द,तहसील धोरीमन्ना
12. गजरों पत्नी हरजीराम जाति मेघवाल निवासी मीठड़ा खूर्द,तहसील धोरीमना
13. कलाराम पुत्र पोकरराम
14. गोमाराम पुत्र हरदास
15. चेनाराम पुत्र प्रहलादराम
16. चोखाराम पुत्र जेहाराम
17. दुर्गाराम पुत्र जेहाराम
18. देवाराम पुत्र सिदाराम
19. बींजाराम पुत्र चुतराराम
20. भाखराराम पुत्र हरदासराम
21. भींयाराम पुत्र जुगताराम
22. मगाराम पुत्र जुगताराम
23. मीरों पत्नी हरदासराम
24. मोबताराम पुत्र धनाराम
25. राऊराम पुत्र हरजीराम
26. वाली पत्नी सिदाराम
    जाति मेघवाल निवासी भूंकरों का तला,मीठड़ा खु[illegible] तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131,136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी 506/9/1.1169 है0 ,661/511/2.3634 है0, 662/511/0.9874 है0, 670/511/2.7276 है0, 674/528/0.5585 है0, 677/506/1.0117 है0 वाके ग्राम लाखोलाई नाडी, तथा खसरा संख्या 512/1/8.0937 है0 , 605/487/0.2671 है0, 609/495/0.9874 है0 वाके ग्राम मीठड़ा खूर्द व खसरा संख्या 454/643/1.2464 है0 पटवार हल्का मीठड़ा खूर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में प्रार्थीगण के पिता सांवलाराम के फौतगी के नामान्तकरण के समय प्रार्थीगण का वास्तविक नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम की जगह नेनाराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम की जगह भंवराराम पुत्र सांवलाराम अंकित हो गया जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थीगण का सही नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में वगताराम पुत्र सांवलाराम की जगह नेनाराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम की जगह भंवराराम पुत्र सांवलाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण हाल राजस्व रिकॉर्ड में नेनाराम पुत्र सांवलाराम व भंवराराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सांवलाराम दुरूस्त कर सही नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070–207 वाके ग्राम लाखोलाई नाडी व मिठड़ा खूर्द पटवार हल्का मिठड़ा खूर्द के नवीन खाता संख्या 26 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
नेनाराम पुत्र सांवला भंवरा पुत्र सांवला	1/10 1/10 व 1/4 1/2	506/9 मौजा लाखोलाई नाडी 661/511 मौजा लाखोलाई नाडी 662/511 मौजा लाखोलाई नाडी 670/511 मौजा लाखोलाई नाडी 674/528 मौजा लाखोलाई नाडी 677/506 मौजा लाखोलाई नाडी 512/2 मौजा मीठड़ा खूर्द	1.1169 है0 2.3634 है0 0.9874 है0 2.7276 है0 0.5585 है0 1.0117 है0 8.0937 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
निर्वाचन पहचान कार्ड	वगताराम पुत्र सांवलाराम बाबू पुत्र सांवलाराम
राशन कार्ड	वगताराम पुत्र सांवलाराम बाबू पुत्र सांवलाराम
आधार कार्ड	वगताराम पुत्र सांवलाराम बाबू पुत्र सांवलाराम

6. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. *नेनाराम पुत्र सांवलाराम व वगताराम पुत्र सांवलाराम **दोनों एक ही व्यक्ति** के नाम है। इसी प्रकार भंवरा पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।*
2. *प्रार्थीगण का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड आदि में नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम अंकित है तथा प्रार्थीगण को **वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम** नाम से ही जाना जाता है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:49 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मय तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 अनुसार *नेनाराम पुत्र सांवलाराम व वगताराम पुत्र सांवलाराम तथा भंवरा पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम* दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थीगण का अन्य दस्तावेजों में नाम वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम अंकित है। अतः

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

वगताराम बनाम तहसीलदार
2022/41
निर्णय दिनांकः–10.06.2025

प्रार्थीगण का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **नेनाराम पुत्र सांवलाराम व भंवरा पुत्र सांवलाराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **वगताराम पुत्र सांवलाराम व बाबू पुत्र सांवलाराम** अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

10/6/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:03:49 IST
Reason: SelfAttested